सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (रा

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 29/2017

बउनवान

श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री रामगोपाल जाति पांचाल, निवासी चरीघाट रोड़, वार्ड नं. 5 बारां (मालिक एवं विक्रेता) श्री बालाजी टी स्टॉल, अटरू रोड़ बारां।
2. श्री देवकीनंदन पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द, निवासी 4/162 स्वामी विवेकानन्द नगर, इन्जीनियरिंग कॉलेज, कोटा **(नोमिनी)** झालावाड़ बारां जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड जिला झालावाड़ राज0।
3. झालावाड़ बारां जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड जिला झालावाड़ राज0।

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री भगवान सिंह हाड़ा एडवोकेट (अप्रार्थी क्रम 1की ओर से)
3– अप्रार्थी क्रम 2 स्वंय

निर्णय दिनांक 10.07.2018

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.09.2016 को श्री बालाजी टी स्टॉल, अटरू रोड़, बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री रामगोपाल मालिक एवं विक्रेता की हैसियत से उपस्थित थे को परिचय दिया ओर उससे पूछने पर उसके द्वारा स्वंय को दुकान का विक्रेता होना बताया, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ **पाश्च्यूरीकृत टोन्ड दूध (सरस)** 500 मिली. की लगभग 20 थैलियां रखे हुए थे, में मिलावट का शक होने पर उसमें से 500 मिली. के 4 पौलिपेक 02 लीटर वास्ते नमूना जांच उपस्थित गवाहान के समक्ष खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को 70/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, मौके पर नमूना लेने की सूचना देने हेतु फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वंय हस्ताक्षर किये। नियमानुसार फर्द रिपोर्ट तैयार की तथा पढ़कर विक्रेता, गवाहान को सुनाया तथा उनके हस्ताक्षर करवाकर स्वंय हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने वास्ते नमूना जांच खरीदे हुए **पाश्च्यूरीकृत टोन्ड दूध (सरस)** 500 मिली. के 4 पौलिपेक को खोलकर कांच की चार साफ सूखी स्वच्छ शीशीयों में परीरक्षक फार्मलीन की 40–40 बूंदे डालकर एयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. के लेबल चिपकाये प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वंय भी हस्ताक्षर किए। **पाश्च्यूरीकृत टोन्ड दूध (सरस)** की खाली थेली एवं चारों नमूना भाग के साथ अलग अलग कागज में लपेट कर फेवीकोल से चिपकाये तथा धागे से बांधकर नियमानुसार चपड़ी से सील किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर स्वंय द्वारा जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर डीओ मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को डी.ओ. मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/ 2016/319 दिनांक 24.11.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/187/FSSA/Kota/Act/2016/294 दिनांक 16.11.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, **पाश्च्यूरीकृत टोन्ड दूध (सरस)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 जर्ये अभिभाषक एवं अप्रार्थी क्रम 2 व 3 की ओर से अप्रार्थी क्रम 2 स्वंय उपस्थित हुये। दोनों की ओर से जवाब पेश नही किये। अप्रार्थी क्रम 2 ने दस्तावेजात पेश किये तथा अभिभाषक अप्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 2 ने सीधे बहस करना चाहा।

हमने बहस उभयपक्ष प्रार्थी, अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 1 एवं अप्रार्थी क्रम 2 स्वंय की सुनी। दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **पाश्च्यूरीकृत टोन्ड दूध (सरस)** का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 1 ने दौराने बहस जवाब में कथन किया कि अप्रार्थी क्रम 1 खुदरा व्यापारी है जैसा पौलिपेक वह खरीदकर लाता है वही आम जनता को विक्रय करता है यदि उक्त खाद्य पदार्थ न्यायालय द्वारा अवमानक माना जाता है तो उसके लिये अप्रार्थी क्रम 1 दोषी नहीं है। उसके लिये अप्रार्थी क्रम 2 एवं 3 ही उत्तरदायी हैं। अतः अप्रार्थी क्रम 1 के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमावें।

दौराने बहस अप्रार्थी क्रम 2 ने कथन किया कि झालावाड़ प्लांट पर प्रयोगशाला है जिस पर प्रशिक्षित स्टॉफ द्वारा प्रतिदिन के उत्पादन की नियमानुसार जांच की जाती है तथा जांच उपरांत जो खाद्य पदार्थ उपयुक्त पाया जाता है वही आम जनता को विक्रय हेतु खुदरा व्यापारियों को उपलब्ध करवाया जाता है। दिनांक 01.10.2016 से 15.10.2016 तक की जांच रिपोर्ट की छायाप्रतियां पत्रावली में प्रस्तुत की गई हैं। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच लिया गया, खाद्य पदार्थ **पाश्च्यूरीकृत टोन्ड दूध (सरस)** जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत, अप्रार्थी क्रम 2 व 3 को कुल 1000/– अक्षरे एक हजार मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। तथा अप्रार्थी क्रम 1 के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त की जाती है। अप्रार्थीगण उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)